राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प 7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट । 13877 जयपुर, दिनांकः 6/3/19

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचना एवं खान विभाग द्वारा जारी ई–रवन्ना के अनुसार ओवरलोड भार वाहनों के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन दिनांक 31.12.2018 तक कारित अपराधों पर, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.09.2016 के अनुसार देय प्रशमन राशि दिनांक 31.03.2019 तक जमा कराने पर कुल अधिकतम प्रशमन राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है, अर्थात्:–

(i) 18.5 टन तक के सकल भार यान (RLW) के भार वाहनों द्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचना एवं खान विभाग द्वारा जारी ई–रवन्ना के अनुसार एक कलैण्डर माह में,–

(अ) तीन बार तक के कारित अपराध के मामलों में – 6000/–रूपये, तथा
(ब) तीन बार से अधिक कारित अपराध के मामलों में – 9000/–रूपये, तथा

(ii) 18.5 टन से अधिक सकल भार यान (RLW) के भार वाहनों द्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचना एवं खान विभाग द्वारा जारी ई–रवन्ना के अनुसार एक कलैण्डर माह में,–

(अ) तीन बार तक के कारित अपराध के मामलों में – 10,000/–रूपये, तथा
(ब) तीन बार से अधिक कारित अपराध के मामलों में – 15,000/–रूपये।

यह अधिसूचना केवल टोल नाकों से प्राप्त सूचना एवं खान विभाग द्वारा जारी ई–रवन्ना से संबंधित मामलों पर ही प्रभावी होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प 7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट । 13878-90
जयपुर, दिनांकः 6/3/19

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 7.3.2019 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन भवन), नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभाग की वेबसाईट पर अपडेटिंग हेतु।
11. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner